

3.7. 244 / 2018

ग्रामीण सेवा-शिविर

MEM- 2021/597
SDO

प्रपत्र-8

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर.....

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट).....

SP-01
17/9/18

:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी नवलडी व भूअनि. नवलडी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार नवलडी / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम नवलडी तहसील नवलडी व जिला सुमेर की जमाबन्दी सम्वत् 2015-18 में खाता संख्या 434 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	नवलडी	434	अर्जुनलाल, नानची बनवावीलाल पुत्र मेधाकाम हिस्सा 1/2 सत्यपाल पुत्र पाण्डे 1/2 केलस, नानची देवी मुखिया मीठडी मोहन देवी रजनी देवी पुत्र मेधावीर पुत्र मेधा कुमार सुमेर देवी पुत्र ग्यारती देवी हिस्सा 1/2	अर्जुनलाल, नानची बनवावीलाल पुत्र मेधाकाम, सत्यपाल पुत्र पानी देवी हिस्सा - 1/6 केलस, नानची देवी मुखिया मीठडी मोहन देवी रजनी देवी पुत्र मेधावीर पुत्र मेधा कुमार सुमेर देवी पुत्र ग्यारती देवी हिस्सा - 1/36 जाल माली

()
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर

क्रमांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर